

राज्य निर्वाचन आयोग

उत्तराखण्ड



सत्यमेव जयते

राज्य निर्वाचन आयोग

संख्या ¹⁹⁴⁵ /रा0नि0आ0-3/1125/2010

देहरादून, दिनांक 03 मार्च, 2011

अधिसूचना

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 243-यक तथा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916) अनुकूलन एवं उपात्तरण आदेश, 2002 की धारा 13-ख एवं 13-छ के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, हरिश्चन्द्र जोशी, राज्य निर्वाचन आयुक्त, उत्तराखण्ड, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के पत्र संख्या 137/iv(1)/2011-57(सा)/2006 दिनांक 26 फरवरी, 2011 के क्रम में एतद्वारा शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या-146/iv(1)/2011-57(सा)/2006 दिनांक 01 मार्च, 2011 में विनिर्दिष्ट उत्तराखण्ड राज्य के छः जनपदों में स्थित नगर पालिका परिषद गदरपुर (रुधमसिंहनगर), टनकपुर (चम्पावत), भवाली (नैनीताल), पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, मंगलौर (हरिद्वार) एवं नगर पंचायत धारचूला (पिथौरागढ़) के विभिन्न प्रकार से संलग्न परिशिष्ट में उल्लिखित रिक्त सदस्यों के पद/स्थानों (प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों) का उप निर्वाचन निम्नलिखित विनिर्दिष्ट समय-सारिणी के अनुसार कराये जाने का आदेश देता हूँ।

2. इस उप निर्वाचन में वही प्रक्रिया अपनाई जायेगी जो राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नागर स्थानीय निकाय निर्वाचन हेतु निर्धारित एवं निर्देशित है।

नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की जांच की तिथि व समय	नाम निर्देशन पत्रों की वापसी की तिथि व समय	निर्वाचन प्रतीक आवंटन की तिथि व समय	मतदान की तिथि व समय	मतगणना की तिथि व समय
2	3	4	5	6	7
22 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	23 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	24 मार्च, 2011 (पूर्वाह्न 10.00 बजे से अपराह्न 02.00 बजे तक)	25 मार्च, 2011 (अपराह्न 03.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)	05 अप्रैल, 2011 (प्रातः 08.00 बजे से अपराह्न 05.00 बजे तक)	07 अप्रैल, 2011 (प्रातः 08.00 बजे से कार्य की समाप्ति तक)

क्रमशः 2

3. संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी अपने जिले की संबंधित नागर स्थानीय निकाय के रिक्त स्थानों/पदों पर उप निर्वाचन हेतु रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के लिए निर्धारित किय गये आरक्षण सहित पूर्ण विवरण देते हुए अपने स्तर से सूचना दिनांक 05.03.2011 को जारी करेंगे और उसकी प्रति सरकारी गजट में प्रकाशन के लिए प्रेषित करेंगे तथा उसकी सूचना राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड को तत्काल प्रेषित करेंगे। संबंधित जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा इस निर्वाचन कार्यक्रम का स्थानीय समाचार पत्रों में व्यापक प्रचार किया जायेगा तथा संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में मुनादी द्वारा सर्वसाधारण को इसकी सूचना दी जायेगी।

4. नाम निर्देशन पत्रों को प्राप्त करने, नाम निर्देशन पत्रों की जांच तथा नाम निर्देशन पत्रों की वापसी एवं निर्वाचन प्रतीक आवंटन की कार्यवाही संबंधित निर्वाचन अधिकारियों (रिटनिंग आफिसर्स)/सहायक निर्वाचन अधिकारियों (असिस्टेंट रिटनिंग आफिसर्स) द्वारा जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर की जायेगी। जिला मुख्यालय की नगर पालिका परिषदों की मतगणना जिला मुख्यालय पर तथा शेष नागर निकायों की संबंधित तहसील मुख्यालय पर अथवा जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा एतदर्थ निर्धारित स्थान पर होगी।

5. जिला निर्वाचन अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी तथा उनके द्वारा पदाभिहीत किय गये संबंधित निकायों के निर्वाचन अधिकारी (रिटनिंग आफिसर) तथा सहायक निर्वाचन अधिकारी (असिस्टेंट रिटनिंग आफिसर) उक्त कार्यक्रम का अपने जिले की संबंधित निकायों के संबंधित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार करायेंगे तथा उसकी प्रतियां संबंधित कार्यालयों तथा निकायों के सूचना पट्ट पर भी प्रदर्शित करेंगे।

6. उक्त समय-सारणी के दौरान पड़ने वाले समस्त सार्वजनिक अवकाश दिवस पर सभी संबंधित कार्यालय खुले रहेंगे।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।


(हरिश्चन्द्र जोशी) 3/3/11
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

1945

संख्या (1)/रा0नि0आ0-3/1125/2010 तद्दिनांक।(फैक्स)

पत्तिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी, ऊधमसिंहनगर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
2. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमायूं उत्तराखण्ड।
3. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
4. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
6. सचिव, महामहिम श्री राज्यपाल, उत्तराखण्ड।
7. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
10. पुलिस महानिदेशक, उत्तराखण्ड, देहरादून।
11. निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तराखण्ड, देहरादून।

12. उप जिला निर्वाचन अधिकारी/अपर जिलाधिकारी, रुधमसिंहनगर, चम्पावत, नैनीताल, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग एवं हरिद्वार।
13. निदेशक, दूरदर्शन/आकाशवाणी केन्द्र, देहरादून को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया इसे अपने संचार माध्यमों द्वारा प्रसारित करवाने का कष्ट करें।
14. महानिदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित करा दें। तथा आकाशवाणी दूरदर्शन केन्द्रों को भी प्रसारण हेतु भेज दें।
15. उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय फोटोलिथो प्रेस, रुड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि वे कृपया अधिसूचना को दिनांक 03 मार्च, 2011 के असाधारण गजट में प्रकाशित कर 25(पच्चीस) प्रतियां आयोग को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
16. आयोग के समस्त अधिकारी/अनुभाग।
17. आयोग के सूचना पट्ट पर रखने हेतु।
18. गार्ड फाईल।

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।

राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तराखण्ड
की अधिसूचना संख्या-1945/रा0 नि0 आ0-3/1125/2010
दिनांक 03 मार्च 2011 का परिशिष्ट
रिक्त प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों का विवरण
(नगर पालिका परिषद एवं नगर पंचायत)

क्रम संख्या	जनपद का नाम	निकाय का नाम	कक्ष संख्या व नाम	पद/स्थान
1	2	3	4	5
1	ऊधमसिंह नगर	न0पा0परिषद गदरपुर	4-शिव मन्दिर	सदस्य
2	चम्पावत	न0पा0परिषद टनकपुर	5-न्यूटावन	सदस्य
3	नैनीताल	न0पा0परिषद भवाली	7-टीकापुर	सदस्य
4	पिथौरागढ़	न0पा0परिषद पिथौरागढ़	14-चन्द्रभागा	सदस्य
		नगर पंचायत धारचूला	4-डाक बंगला	सदस्य
5	रूद्रप्रयाग	न0पा0परिषद रूद्रप्रयाग	7-पुनाड़	सदस्य
6	हरिद्वार	न0पा0परिषद मंगलौर	15-मो0 हल्का	सदस्य
			10-मो0 बन्दरटोल	सदस्य

(हरिश्चन्द्र जोशी)
राज्य निर्वाचन आयुक्त।
१६/३/११